

Several Hon. Members: Yea.

*The motion was, by leave,
withdrawn.*

Mr. Deputy-Speaker: I shall now put substitute motions Nos. 3 and 5 to vote.

The question is:

That for the original motion, the following be substituted, namely:

"This House having considered the conditions created by drought in Bihar, Eastern Uttar Pradesh, parts of West Bengal, Madhya Pradesh, Orissa and Bombay is of the opinion that immediate steps for relief be adopted and long term measures to avoid further deterioration of the situation be actively implemented."

The motion was negatived.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

That for the original motion, the following be substituted, namely:—

"This House having considered the conditions created by drought in Bihar, Eastern Uttar Pradesh, parts of West Bengal, Madhya Pradesh, Orissa and Bombay, is of the opinion that immediate steps be taken in consultation with State Governments to provide cheap foodgrains to the poorer section of the people of the affected areas, on the widest possible scale and to provide them with alternative employment."

The motion was negatived.

Mr. Deputy-Speaker: These substitute motions are lost. The discussion is now over.

DELHI MUNICIPAL CORPORATION BILL

The Minister of Home Affairs
(Pandit G. B. Pant): I beg to move:

"That the Bill to consolidate and amend the law relating to the municipal government of Delhi, as reported by the Joint Committee, be taken into consideration."

It gives me great pleasure to make this motion. This Bill is a voluminous one. It has more than 510 clauses. It was introduced on 7th September, 1957. Thereafter, the Bill was referred to a Joint Committee of both Houses. Some of the prominent and leading Members of Parliament were included in it. The number of members was no less than forty-five. This report was presented by me on the 11th of this month.

I must first of all express my sincere gratitude to the members of the Joint Committee for the cordial co-operation which I received from everyone of them. We sat from day to day for several days, and every clause was carefully examined. The Members were not only good enough to give their time and to bestow their thought on the provisions of the Bill but also to deal with every issue that was raised in the Joint Committee in a very rational and considerate way.

15 hrs.

So the Bill has undergone several changes; it has been improved considerably as a result of the labours of the Joint Committee. Hon. Members who have attached Notes of Dissent have also been pleased to express their satisfaction on this aspect, that is, the improvements that have been made in the Bill.

I must confess that still I am not very happy. I would be very highly gratified if I had been able to secure the support of every hon. Member who served on the Joint Committee to the Bill as it has been reported. I was somewhat disappointed when I saw the Notes of Dissent. Rightly

or wrongly, I had formed the impression when the Bill was under discussion in the Joint Committee that the hon. Members had been pleased to appreciate the point of view that was represented by me. But that was a wrong inference and, to that extent, I feel rather disappointed. However, I trust that they will be pleased to approach the points raised by them even now with an open mind, and I should not be surprised if they are ultimately converted to the right view.

The salient points of this Bill were placed before the House by me when the motion for referring the Bill to the Joint Committee was made. It is a local measure in a way, but it deals with the capital of our country. Delhi is the metropolis of India. So it (the Bill) possesses special importance, in spite of the fact that it deals with issues which are essentially of a local nature.

The Bill has provisions which are somewhat unique. The area which is to be served by this Corporation will be no less than 510 square miles. None of our Corporations, those which were established in the 18th or 19th century—some more than 200 years old—has such an extensive jurisdiction. Of this area, there is a part which is rural too. It is a singular sort of arrangement which has not been tried so far, as this Corporation will be dealing not only with the affairs of the urban area, but also with those of about 300 villages which have their panchayats and which are now served by the District Board of Delhi. There are about 10 or 11 local bodies, including the District Board of Delhi, which will all be merged in this Corporation now. This multiplicity of local bodies and also of various authorities had sometimes resulted in delay, complication and also circumlocution. Business could not be transacted with reasonable speed. Now, we will have only one Corporation to handle the affairs of this vast area.

The Corporation has been modelled on the pattern of the Bombay Corporation. That is the best Corporation in our country. It has received praise not only from our own countrymen but also from distinguished statesmen who have visited Bombay from time to time and who have had the opportunity of looking into the way the affairs of Bombay are, and have been in the past, administered by the Bombay Corporation. Some of the most distinguished leaders of our country were associated with the management of the affairs of the Corporation, and the traditions built by them and the impress left by them have been naturally of great value to all local bodies. So, as was almost settled at the time when the States Reorganisation Bill was under discussion, this Corporation follows the Bombay model. But in some respects, it goes even beyond that model. As, I said, it will serve not only the urban, but also the rural people of the Delhi Territory.

So far there have been, besides 10 or 11 local bodies, three other important statutory bodies which deal with matters which were and are of vital concern to the inhabitants of Delhi, namely, the Electricity Board, the Transport Board and the Water and Sewage Board. All these were statutory bodies, as I said, and they had exclusive responsibility for discharging these important functions. The generation and distribution of electricity, the supply of water, the arrangements regarding drainage and sullage and about transport were carried out by these bodies. Now, the functions of these bodies also will be transferred to the Corporation, and the Corporation will not only be concerned with the distribution but also the generation of electricity which is even now not the case in Bombay.

This Corporation Bill when it was introduced was a very comprehensive measure. Certain changes have been made in the Bill and they have fur-

[Pandit G. B. Pant]

ther improved the measure. I will just refer to some of them.

Under the original Bill, as it was introduced, the Corporation was to consist of 80 members only. Now, it has been provided that there should be 6 aldermen besides 80 members, the aldermen to be elected by the members of the Corporation. Further, there should be one representative for every 20,000 inhabitants of Delhi. If the number hereafter goes up, then, the number of representatives should also be raised from 80 so that it may correspond to the number to which this Corporation would be entitled on the basis of one representative for 20,000. But the maximum should not exceed 100.

It has also been provided that there should be Ward Committees and these Ward Committees should be empowered to co-opt others living within those wards. Their number might go up to three. In the Bill, provision has also been made that there will be a separate Rural Area Committee and that committee will be entitled to make recommendations regarding all matters affecting the rural areas, and they will also be consulted with regard to rural matters before any action is taken.

There are other amendments also and some of them relate to appointments. Now, it has been provided that all posts carrying a salary of Rs. 350/- or more should be filled in consultation with the Union Public Service Commission. Those below Rs. 350/- will be filled in accordance with the resolutions that will be made by the Corporation in consultation with Government. So, not only these but the General Managers of the Transport Authority etc. are also to be appointed in consultation with the Union Public Service Commission. Posts will be reserved for the Scheduled Castes in proportion to their population. These are some of the matters relating to appointments.

Then, as to the functions of the Corporation. They have been considerably enlarged and amplified. The Fire Protection Service will be completely transferred to the Corporation and the Corporation will have the power to deal with matters relating to the maintenance of the Fire Brigade and it will be also responsible for the discharge of such functions whenever necessary.

Besides these, some other functions such as the laying out of parks etc. have also been entrusted to the Corporation. There is a large list of functions which the Corporation will discharge at its discretion and which the Corporation is expected to take up, not immediately but by and by. I will mention some of them; the establishment of theatres and cinemas, construction and maintenance of veterinary hospitals, construction and maintenance of asylums, provision for relief to destitutes and disabled persons, establishment and maintenance of and aid to stadia, gymnasia etc., organisation and management of farms and dairies within or without Delhi for the supply, distribution and processing of milk and milk products, organisation and management of cottage industry, handicraft centres, sales emporia etc., organisation and management of fairs and exhibitions and maintenance of warehouses and godowns, construction and maintenance of sheds and stands for vehicles etc. There are various other matters but it is not necessary for me to refer to them.

The Bill now also provides for an Education Committee which will be set up by the Corporation and it will be open to three experts from outside the members of the Corporation to be co-opted in this Committee. Some other committee may also be appointed about which no provision had previously been made in the Bill.

The Corporation will have, according to the estimates, rough though they

are, but which, according to the data now available are likely to be accurate, funds to the extent of Rs. 10 crores a year. It is expected that the Corporation will be able to carry out the onerous tasks that come within its purview with efficiency. The Government may also contribute towards the funds of the Corporation whenever necessary to the extent it can reasonably do so, so that the responsibility which has been placed on the Corporation may be discharged in a satisfactory way.

As I stated at the outset, there are some notes of dissent. One has been put in by our communist friends and one by Shri Dwivedy and two by two other individuals, one being by Shri Brahm Perkash and one by Shri Rao, if I remember aright. The notes of dissent, more or less, raise the same points and they are common in some respects. The points which have been prominently mentioned in the notes of dissent were discussed fully in the Joint Committee and it can, I think, be reasonably inferred that most of the Members of the Committee are in full agreement with the decisions that were then taken and which are now embodied in this Bill. Out of 45, only 7 Members have in a way expressed their dissent. The points which they have referred to are not new. They have been really the subject of controversy. One of them relates to the deletion of a part of New Delhi from the scope of this Corporation. Well, as I submitted previously, the Corporation will have jurisdiction over 510 square miles and an area of not more than 15 square miles will, so far as I remember, be excluded. This hardly comes to about three per cent. of the total area. If the Corporation can discharge its functions in a satisfactory way in this vast area, it will have done a splendid job. The exclusion of three per cent. of the total area will not in any way come in the way of the Corporation's handling the affairs of the 510 square miles with which it will have to deal. The 15 square miles ought to be left out for reasons which seem to be not only adequate but indisputable and conclusive. In this area are the Embassies,

the Secretariat, Government quarters and so on. 92 per cent. of the houses existing in this area belong to the Government. So far as I am aware, more than 90 per cent. of the people living in this area are either Government servants themselves or members of their families. Besides, the people living in this area have sent a series of representations expressing their desire to be kept out of the Corporation. So far as their wishes go, they would very much like to be kept out. This New Delhi area which has been left out, as I said, consists of mostly Government buildings. Under the law these buildings are not liable to any local taxes. So, it will be a heavy charge on the Corporation when it is just making a start to be burdened with this responsibility of maintaining the standards of health, sanitation and so on in this area when very little can be collected here by way of revenue from Government buildings, mostly all the property, as I said, being not only in charge of but belonging to the Government itself. Then the people living there are the Government servants and mostly they occupy these buildings and they cannot be elected as members of the Corporation. They are not eligible under the law and the Government servants have so far been kept out of all controversy. So, this is a compact area in which the persons who live are to be looked after. They themselves, so far as Government servants are concerned, cannot have any direct say in the management of the affairs of the Corporation. So, it was considered desirable to keep this area out and I think it is a fair arrangement. Considering the existing circumstances, it will also ease the burdens which the Corporation has to bear to start with. It should prove beneficial to the Corporation itself and enable it to discharge its other functions without being loaded with this responsibility.

The other point to which reference has been made in the notes of dissent relates to the setting up of Delhi Development Authority. At present we have a Delhi Development (Temporary) Authority and under the

[Pandit G. B. Pant]

existing law the entire urban area is under the control of the Development Authority so that all works of development including the construction of buildings etc. come within the purview of the Development Authority. But the new Development Authority that is proposed to be set up will not be concerned generally with these affairs of development in Delhi. Only when any particular area is notified by the Central Government, after consulting the Corporation, this Development Authority will be empowered to develop that particular area. But so far as the rest of Delhi which consists, as I said, of 510 square miles is concerned the Corporation will have every jurisdiction to deal with all the matters relating to construction, development, clearance of slums and the like. It is in the interest of the Corporation that the Government, if it chooses to develop any particular slum or any other bit, should take up that responsibility, meet the expenditure but after the development the area will again be placed at the disposal of the Corporation. So, the Corporation will be relieved of the responsibility of developing that particular area. It will have the benefit of the development that will be carried out by the Government at its own cost.

There are certain other suggestions made in the notes of dissent. One of them relates to the position of the Mayor or the functions which the Corporation should discharge, and the manner in which its work should be conducted. The hon. Members are aware that the great merit of the corporation system lies in separating the executive part of the work from the policy-making, supervision, guidance and control part of it. The Mayors and the members of the Corporation will have to shape the future of Delhi. They will evolve sound policy, give direction and so on and determine the rate of taxes and all the other matters which will touch the life of the people. It will be the duty of the Commissioner to carry out those policies and to give effect to those directions.

It is in the interest of efficient administration that executive functions should be entrusted to one who is in a position to carry out the orders and the policies of the Corporation, and who has no other interest in discharging the difficult and delicate duties. So, it is the accepted principle that it should be so.

The Chairman of the Municipal Board of Delhi was good enough to appear before the Committee and to express his views. He was emphatically of the opinion that the Commissioner alone should be asked to perform executive duties and to perform tasks of that character. He also said that if any other arrangements were made and the two are mixed up, there will be considerable difficulty and it would be hardly possible, in a way, to carry out the administration in a satisfactory way.

So there is the provision so far as the Commissioner is concerned that he can be removed from his office by three-fifth of the members of the Corporation. That is a safeguard and the Corporation can take such steps as it likes for the development of its area and for giving effect to other schemes.

Somewhere it has been suggested that the Corporation should be free to take up other duties also. Well, there is no bar, because there is a general provision in the Bill to the effect that the Corporation will be entitled to deal with matters pertaining to health and advancement of the people of Delhi. I think that would cover such other activities which the Corporation might like to take upon itself and to carry out. It is not easy for a Corporation to do more than what it is being asked to perform in the course of its first five years, but if it chooses to undertake more in that line there would be no objection.

I think the Bill has been considerably improved, and I trust that it will be accepted by the House. As it is likely that some amendments may be moved hereafter, I do not think it is necessary for me to deal with any points which may be raised in the

course of the discussion on the amendments just now at this stage. Sir, I move.

Mr. Deputy-Speaker: The motion is now before the House. The time allotted for this Bill for all the three readings is ten hours. There are about 150 amendments, and we have to go through 515 clauses and 13 Schedules. Therefore, I think that more time should be devoted to the clause-by-clause consideration. May I have an idea as to what time should be devoted to the consideration stage? I would suggest three hours for general discussion and seven hours for clause-by-clause consideration.

An hon. Member: Let it be four hours and six hours.

Mr. Deputy-Speaker: Is that the sense of the House?

Many hon. Members: Yes.

Shri Sinhasan Singh (Gorakhpur): Will the four hours count from now or from the time the hon. Minister started his speech?

Mr. Deputy-Speaker: From 14:57 when the hon. Minister started his speech.

Again, we had followed the practice in previous Bills that those who have not spoken earlier—here in this case, perhaps, none had spoken—and who were not Members of the Select Committee should have preference over those who were Members of the Select Committee. Then, out of those Members of the Select Committee those who have appended Minutes of Dissent shall be allowed preference over those that have only supported the Report.

Shri Surendranath Dwivedy (Kendrapara): Sir, I fully share the sentiments expressed by the hon. Home Minister, that it would have been better if the Joint Committee would have presented us with a unanimous report. I have no cause for complaint, and I must admit that full scope was given for discussion to all points of view in the Joint Committee. But, if, even after that, there have been

Minutes of Dissent or disagreement, that is because on some basic problems and points we have not been able to see eye to eye and the Government has not been able to accept our proposals.

This question of Delhi Corporation has to be viewed from the point that the Delhi State has no democratic administration at the State level, and this demand for a Corporation is not new in Delhi. Even when there was a State Administration the Delhi Municipality, as early as 1938, had been advocating for a Corporation and there have been committees and enquiries about it. But this matter was seriously taken up after the recommendations of the States Reorganisation Commission, which said that Delhi should have a Corporation and Delhi will be a territory under the Central Administration.

By denying democratic administration, I do not mean that the people of Delhi are not associated with the Government machinery in any way. It is a fact that representatives of Delhi are there in the Lok Sabha, and they take part in the deliberations of this House which formulates and shapes the policy of the Government. But, at the same time, we have to take into account that larger sections of the people will have no opportunity to express their views on smaller matters of administration which they generally get in other States. They are so many avenues besides the State Administration. There are village panchayats and there are other regional administrative spheres where the people are represented to voice their grievances. Here they have no such opportunity. So, it was all the more necessary that we should have followed the recommendations of the States Reorganisation Commission, which categorically stated that Delhi being the metropolis should have a Corporation which would have larger powers than those ordinarily enjoyed by other corporations. They also stated in their report that municipal autonomy in the form of a

[Shri Surendranath Dwivedy]

Corporation which will provide greater local autonomy than is the case in some of the important federal capitals is the right and, in fact, the only solution of the problem of Delhi State. Viewed in that aspect, I feel that this measure will not satisfy the demands of Delhi. The people will be rather disappointed. They may congratulate the Home Minister because of the voluminous nature of the Bill, and probably because he has taken care to see that the Bill has as many clauses as the number of square miles under the jurisdiction of the Delhi Corporation. But there, it will be seen that so far as the representation of the people or their association with the administration is concerned, there is nothing very much different from what is prevalent in other Corporations.

I do not want to stress this argument that the elected representative's right is being taken away by the introduction of the Commissioner. I think this is a salutary policy and from the experience that we have in the local self-governing bodies, it is proper that the executive functions should be discharged by persons who are permanent officials and who can devote their entire attention to the administrative side of it, although I would have liked some more powers having been given to the Mayor, considering the position and prestige that he occupies in this Corporation. But still, I do not want to quarrel on this point because it has been found, especially in Bombay on which model this Bill is formulated here, that that system has worked very efficiently.

But the whole question is whether in this Corporation we will have under its jurisdiction the entire area or only a portion of it. I have heard the arguments of the Home Minister advanced in favour of exclusion of certain areas of New Delhi from the proposed Corporation. The main argument seems to be that there are government buildings in this area, that the inhabitants are mostly Government servants who cannot participate in the election or can contest elections

as candidates and, as the law stands no assessment or taxation could be charged on the Government buildings. So, he said that if we include these areas, it will be rather a liability on the Corporation than an asset and therefore let the Government itself take over the management of this area. I am not convinced of this argument.

In the Assembly and Parliamentary elections also, the Government servants are debarred. They cannot contest the elections as candidates, but they have a right to choose their own representatives, to express their own opinion; but here, in the municipal affairs, even after the exclusion of 15 sq. miles, there will be areas where Government servants live. They will also elect representatives to Delhi Corporation. So, why not the same facility be given to those people who reside in the New Delhi area to elect their representatives and fully associate themselves with the civic administration? It is not proper to think that there would not be any candidate available, for, though Government servants themselves may not be candidates, I think their family members and others who live in those areas can as well represent those areas as any other persons.

As regards the financial aspect, the Government will have to spend money to develop these areas. So, why should the Central Government, with its multifarious responsibilities, take upon itself the duty to maintain only a small area for its development? Why not leave it to the entire Corporation and make a suitable grant so that there may be a unified and uniform development all over?

There is a feeling—I do not know how this feeling can be removed—that there is no valid reason for exclusion of these areas and that there is a distinction going to be made between the privileged sections and the ordinary people. Perhaps these areas which are to be excluded contain people who enjoy certain privileges and facilities because of

the position that they hold in the government machinery.

It has been very clearly stated in the report of the States Reorganisation Commission that there should be no distinction or difference between Delhi and New Delhi. I shall read out that portion which says very clearly:

"Delhi is now an integrated and vast metropolis with urban population of nearly a million and a half. From the point of view of law and order, the social life of the people, trade and commerce and common public utility services, Old Delhi and New Delhi constitute an integrated unit and it will be wholly unrealistic to draw a line between the two".

Therefore, I would most earnestly appeal to the Home Minister to reconsider this entire position. While you are giving 500 odd square miles to the Corporation.....

Mr. Deputy-Speaker: Perhaps that remark was made by the States Reorganisation Commission.

Shri Surendranath Dwivedy: Yes.

Pandit G. B. Pant: What about other Corporations? There may be one or two.

Shri Surendranath Dwivedy: Then they argued that since there is no difference, they can come under one Corporation. That is how they advanced their arguments. I say that they can come under one Corporation. There should be no distinction whatsoever. Therefore, I would urge upon the Home Minister, even at this stage, to reconsider the position and accept the amendments for the inclusion of the entire New Delhi area.

There was a suggestion that if at all the Government, for any reasons, think it necessary that a portion of New Delhi should remain apart, then why not confine it to the smallest possible area, that is, the Rashtrapati Bhavan, Parliament House and the

Secretariat buildings, and leave the rest to the Corporation. That position may be considered by the Home Minister now. Nothing will be lost, because, as I find, there is no section which approves or supports this view, namely, that a portion of New Delhi should be excluded from the purview of the Corporation.

The second point is this. I am happy that the Home Minister agreed to the proposal that ultimately the strength of the Corporation should be increased to 100 and the position would be reviewed according to the census report. But I thoroughly oppose the introduction of aldermen into the Corporation. I feel this is a negation of democracy. The original Bill provided the number of councillors to be elected to be 80. Now it is 86 including six aldermen. These aldermen will not be elected by the people who are the voters. They will be elected by the councillors elected to the Corporation. This is an indirect election and they will have every right of an elected councillor either to become Mayor or Deputy Mayor and to discharge all the functions that an elected councillor would have to discharge. At the same time, they will have no responsibility to anybody. The elected councillor will have to meet the wishes of the people whom he represents. But these people who will be indirectly elected will have no responsibility whatsoever. It is just possible that whichever party, group or persons have a majority in the Corporation may very well elect the aldermen to add to their strength.

If we are really learning from the experience of other Corporations, I would humbly submit that in Calcutta, which is one of the premier cities, since the establishment of the Corporation there, excepting one, there has not been a single Mayor who was a councillor. The aldermen are selected with a view to give them this prize post and they do not face the electorate. They do not go in for elections. They conveniently manage to get elected by the party or group with which they are associated.

[Shri Surendranath Dwivedy]

Practically, the elected councillors will have no opportunity.

I also do not agree with the point that the Mayor or the Deputy Mayor has a right, according to the provisions of this Bill, to be elected as many times as possible, because the elections are to be held each year. Sometimes this also creates difficulties and opportunities are denied to other persons. In a democracy, we should also see that no vested interest grows in this matter. Sometimes, it happens that once a person gets into that position there are so many avenues open to him by which he can manage to get himself elected many times. Therefore, we should have provided some limit. I have suggested in my minute of dissent that it is all right that the Mayor or Deputy Mayor should be elected each year, but we should at the same time provide that no person can be elected to these posts for more than two consecutive terms. If we have some such provision, within the four years for which the life of the municipality exists, other councillors may have opportunities to take upon themselves the responsibility of administering this city.

I want to point out another thing. For the democracy which we visualise, we will have to see that all sections are represented. It is all right for the Minister to say that we have followed the model of Bombay which, on all accounts, is one of the best administered municipalities in our country. The pattern of Bombay Municipality has been followed in many respects, but if you see the provisions of this Bill and the Bombay Corporation Act, you will find that one of the most important aspects has been forgotten or overlooked here. We often come across caste and communal rivalries not only in municipalities and local bodies, but also in larger spheres of legislatures. In Bombay, they have multi-member constituencies with the cumulative system of vote, as a result of which all sections are represented and we are told that for the last so many

years it has worked very nicely and there has been no dispute over trivial matters. If we had introduced that cumulative system of voting, probably it would not have been necessary to provide a clause for reservation of seats for the Scheduled Castes. If Bombay has worked very successfully, why should we not adopt that procedure here? This Bill provides for multi-Member constituencies, but with distributive system of votes. It will very greatly handicap the smaller sections. If we really want all sections to be represented either this cumulative system of votes should be introduced or as we have in the case of Assemblies and Parliament, there should be single-member constituencies and double-member constituencies only for areas where reservation of seat is made for the Scheduled Castes. If the provisions of the Bill are changed in this manner, it will greatly satisfy the people who feel that on account of these provisions, they will be denied an opportunity.

This is one aspect of the democratic set-up of this Corporation. There is another aspect also on which I will lay stress.

Mr. Deputy-Speaker: Is it as big as the first one? The hon. Member has taken 25 minutes already.

Shri Surendranath Dwivedy: I may be given 10 more minutes.

Mr. Deputy-Speaker: He should try to finish within 5 minutes.

Shri Surendranath Dwivedy: There is another aspect on which I want to lay stress. It is about the elected ward councils. There is an improvement on the former Bill in the sense that we have in this Bill provided for nominated ward councils. Nominated ward councils will be nothing except that the nominees of the councillors of the area will sit there to discuss matters. We have provided everything—Chairman, Deputy Chairman, their functions, etc. But what I want is that there should be elected ward councils. The reason why I want this

is that in the municipalities we should see that people are very closely and intimately associated with the administration. There is no power of recall. Once a municipal councillor is elected, he continues for five years. What I want is, if in the smaller ward area committees, we provide for simultaneous election of ward councils say 1 for 1,000 voters, then there may be a possibility and an opportunity for these people to come closer with the administration and to voice their grievances and the demands of local areas in the council, which will ultimately be represented in the Corporation. I do not say that they should be given some executive function. I do not want that. But it should be a body in which more representative people should be associated, who will assist in the work, not only of the Council, but of the Corporation as well, in the matter of sanitation, education and other things. If this is done, then probably we will have a better democratic set up and people will feel that really they are being associated with the administration in a very liberal manner.

16 hrs.

I will lastly say one thing before I conclude. As the Home Minister has pointed out, there are some obligatory and discretionary functions to the Corporation. If we really want that the Delhi Corporation should be a model before the people, we should provide some obligatory function so far as adult education and removal of illiteracy are concerned. We have provided in the Constitution that within a limited period of time we should remove illiteracy from this country. But not much has been done in the matter because of lack of funds and other reasons.

Now the Centre will be almost in charge of this Corporation so far as its finances and other matters are concerned and it will be giving directions. So, this is an opportunity, not only for the Corporation but for the Centre also, to experiment in this matter. If the removal of illiteracy

and adult education are made obligatory functions, then the Corporation would devote its mind to those problems and it will be a model to other corporations as well.

Then, I feel that it would have been better if the Delhi Development Authority had also come under the Corporation. But I do not want to speak about it now because a Bill is coming up on the subject.

I agree that the Joint Committee has made an improvement in the provisions of the Bill. As regards the entire set up, I have nothing very much to say except what I have already stated. I hope that the Home Minister, who has appealed to us to make a right approach to the problem, will look into the points which I have stressed—they are not such as will not be acceptable to him—and will accept them. Then we will get unanimous support to this measure.

Mr. Deputy-Speaker: I request members who were not members of the Joint Committee to speak.

श्री० ब्रह्म प्रकाश (दिल्ली सदर) :

जनाब डिप्टी स्पेकर साहब, मुझे अफसोस है कि जिस वक्त शुरू में यह बिल पेश हुआ उस वक्त इस पर कुछ विचार प्रकट नहीं किये जा सके, जिस की वजह से मुझे अपने कुछ विचार रखने पड़ रहे हैं। यह ठीक है कि ज्वाइंट कमेटी में तकरीबन सभी बातों पर बहस हुई, तफसील के साथ हुई और होम मिनिस्टर साहब ने हमें बहुत अच्छा मौका दिया। मैं यह जरूर कहूंगा कि वह जितना एडजस्ट कर सकते थे और बातों को मान सकते थे, उन्होंने मानने की कोशिश की। फिर भी कुछ बुनियादी बातों से मेरी तसल्ली नहीं हुई। और वह बातें ऐसी हैं जो तफसील या मामूली नहीं हैं जिनको कि दरगुजर किया जा सके। मेरे लिये एक्स्-लाफी नोट लिखना और इस बिल की कुछ बातों पर एक्स्लाफ जाहिर करना, दोनों ही बड़े दुःख की बातें हैं, खास तौर पर जब कि हमें अपने मौजूदा होम मिनिस्टर साहब से एक्स्लाफ करना पड़े तो वह उसी वक्त हो

[चौ० बह्य प्रकाश]

सकता है जब कि कोई एक बड़े जबरदस्त कांशिऐंस की बात हो।

जो बिल कारपोरेशन के मुताल्लिक इस वक्त हाउस में पेश है, अगर वह सन् १९३९ में आता तो उसको बहुत मुबारकबाद दी जाती क्योंकि, मैं बतलाऊँ, सन् १९३० से इस बात पर चर्चा चल रही है कि दिल्ली के सिविक ऐडमिनिस्ट्रेशन में बहुत तब्दीलियों की जरूरत है, जिसको कि फार्मल तौर पर सन् १९३८ में ही आसफ अली साहब ने रेजोल्यूशन की शकल में दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी के सामने पेश किया था। उन का कहना था कि दिल्ली में एक कारपोरेशन हो। खैर, वह वक्त तो नहीं था कि कारपोरेशन बनता फिर भी सन् १९४८ में एन्क्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की और यह कहा कि दिल्ली के अन्दर कारपोरेशन जल्दी लाया जाये। यहां का सिविक ऐडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है; बहुत सी अप्रारिटीज हैं, इलाके बहुत बड़े हुये हैं। उन्होंने अपनी सिफारिश की कि यहां पर एक ऐसा बिल लाया जाये जिसमें कि तमाम म्यूनिसिपल कमेटियों और दूसरी अप्रारिटीज को शामिल किया जाये। यह भी जिज्ञा किया गया कि उसके अन्दर नई दिल्ली भी शामिल हो। अगर उस वक्त यह बिल आता, जैसा कि उस वक्त बाम्बे माडेल पर एक बिल तैयार भी किया गया था, तो दिल्ली के लोगों को बड़ी तसल्ली होती। लेकिन यह जो बिल हमारे सामने आज है वह एक ऐसे आस वक्त में आया है जब कि यह समझा जाता है कि दिल्ली में कारपोरेशन एक बदल है। एक डिमांडेटिक रिस्पॉसिबल गवर्नमेंट का यह भी कहा जा सकता है कि यह बदल नहीं है। लेकिन स्टेट्स रिआर्गनाइजेशन कमिशन की रिपोर्ट को इस सदन ने मंजूर किया। और जिसके नतीजे के तौर पर दिल्ली में रिस्पॉसिबल गवर्नमेंट खत्म हुई, उसकी बजह से दिल्ली वालों को बेहद दुःख और तकलीफ। अगर यह बात न होती और

फिर यह बिल यहां पर आता तो मुमकिन है कि कोई बहुत बड़े एक्स्लाफ की जरूरत न होती। लेकिन आज दिल्ली में रिस्पॉसिबल गवर्नमेंट नहीं रही। आगे अब कभी होगी या नहीं यह आने वाले लोगों पर मुनहसर है क्योंकि एक दिन में तारीख नहीं बनती है और न बदलती है। आज दिल्ली के लोगों में जो दुख मौजूद है वह रहेगा। यह ठीक है कि दिल्ली के लोगों ने इस दुख को बाकायदा तरीके से प्रकट किया, यहां की सभी पाटियों ने, सभी ग्रुप्स ने, सभी आर्गनाइजेशन्स ने जो भी दिल्ली के रिप्रेजेन्टेटिव आर्गनाइजेशन्स कहे जा सकते थे इस कंटेक्स्ट में सभी ने इस दुख को प्रकट किया है।

जब हम इस कारपोरेशन बिल को देखते हैं और इस पर विचार करते हैं तो बहुत मायूसी होती है। मुझे भी बहुत मायूसी और दुख हुआ कि दिल्ली की स्टेट खत्म होने के बाद, दिल्ली में पापुलर ऐडमिनिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद यह कारपोरेशन दिल्ली को मिला है। एक वक्त में जो चीज अच्छी और बेहतर समझी जा सकती थी दूसरे वक्त में वही चीज उसनी अच्छी और बेहतर नहीं समझी जा सकती। इस में मुझे कोई शक नहीं कि अगर सन् १९३८ से कोशिश करने के बावजूद, एन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के बावजूद अब तक यह कारपोरेशन बिल गवर्नमेंट नहीं ला सकी थी और अब वह इस को लाई है तो मैं होम मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि अगर उन की जगह कोई और होता तो मुझे पूरा यकीन है कि सालों तक यह बिल भी यहां न आता। लेकिन मुझे एक बात का दुख है कि उन जैसी काबिल शक्सियत के होते हुए इस से बेहतर बिल और इस से बेहतर इन्तजाम दिल्ली के लिए नहीं लाया जा सका और आने वाले वक्त में एक तरह से लोगों के ऊपर छोड़ दिया गया कि वह एक दूसरे ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो कि दिल्ली के लिए ज्यादा आयदेमन्ड हो कोशिश करें।

यह ठीक है कि बाम्बे कारपोरेशन का धीरे-धीरे उसके पैटर्न का हवाला दिया गया। मैं यह भी मानने के लिए तैयार हूँ कि बाम्बे कारपोरेशन एक बेहतरीन सिविक इन्स्टिट्यूशन में से है। लेकिन वह खाली कानून की वजह से नहीं है, उस के पीछे पिछले १०० से ऊपर सालों की तारीख है और वहाँ की जिन्दगी है। यह वहाँ के लोगों के दिमाग और तजुबे हैं जिन्होंने मिल कर इस कारपोरेशन को बनाया है। मेरा भी कभी यह खयाल था कि बम्बई कारपोरेशन ऐक्ट या बम्बई कारपोरेशन का जो तर्ज है उसी से वह दुनिया के अन्दर बेहतरीन इन्स्टिट्यूशन में से है। लेकिन अगर हम पब्लिक सिविक ऐडमिनिस्ट्रेशन की तारीख को पढ़ें और दूसरी जगहों के सिविक ऐडमिनिस्ट्रेशन को स्टेडी करें, खास तौर से जिन हालात में हम आज हैं, जब कि दिल्ली जैसे बड़े शहर की आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उस में यह पैटर्न ठीक है या मुनासिब है, इस पर हमारा विश्वास उतना नहीं होगा। इस सिलसिले में इस से बेहतर पैटर्न और ऐडमिनिस्ट्रेशन दुनिया के सामने आ रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि जहाँ तक सेटेस्ट सिविक पैटर्न या मेट्रोपोलिटन सिटी के ऐडमिनिस्ट्रेशन को मैं ने स्टेडी किया है, मैं ने देखा है कि जो टोकियो का पैटर्न है वह आज की दुनिया की मांगों को सब से ज्यादा पूरा करता है।

यह ठीक है, जनाब, कि सब से पहली बात ताकत की—पावरज की—होती है और वह सवाल होता है कि किसी ऐडमिनिस्ट्रेशन को क्या पावरज दी जायें। दूसरा सवाल यह होता है कि उन पावरज को किस तरह ऐडमिनिस्ट्रेशन किया जाय। आप पावरज कारपोरेशन को दे दें, लेकिन उन को एक आफिसर के सुपुर्द कर दें कि वह उन को ऐडमिनिस्ट्रेशन करे, वह आज के जमाने में नहीं चल सकता है, क्योंकि आज सब इस तरफ है कि जो सेंटर आफ पावर है, उन को ज्यादा से ज्यादा डीसेंट्रलाइज किया जाय, न कि टाप पर

डेमोक्रेसी ला कर सिर्फ आफिसर के जरिये उस को एक्सीक्यूट कराया जाय।

आज एक्सपर्ट्स की यह राय है कि दुनिया में जितने भी सिविक ऐडमिनिस्ट्रेशन हैं, वे ज्यादातर तीन बातों से सफर करते हैं—उन में कमी है फाइनेंस की उन में आम तौर पर ब्यूरोक्रेटाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन पाई जाती है और गवर्नमेंट और सिविक ऐडमिनिस्ट्रेशन में ताकत और फाइनेंस की लड़ाई बराबर चलती है और इन बातों की वजह से कारपोरेशन टाइप के मौजूदा पैटर्न पर एतराज किया गया है और कहा गया है कि इन में बुनियादी तबदीलियों की जरूरत है।

जहाँ तक दिल्ली कारपोरेशन बिल का ताल्लुक है, जब कि दिल्ली में इस बात की जरूरत थी कि यहाँ पर एक ऐसा ऐडमिनिस्ट्रेशन हो, जो यूनिफाइड हो, इन्टीग्रेटेड हो, डेमोक्रेटिक हो, इकोनोमिक हो और एफिशिएंट हो, वहाँ इस बिल में इस किस्म का ऐडमिनिस्ट्रेशन मौजूद नहीं है। इस के बाद भी यहाँ पर चीफ कमिशनर की हुकूमत रहेगी। जितने सेक्रेटरी और जो सेक्रेट्रियट हम मिनिस्ट्री खत्म होते वक्त छोड़ भाये थे, वे सब बाकी हैं। वे कम होंगे या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता हूँ। आज भी उतने ही डायरेक्टरेट्स और हैड्स आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन मौजूद हैं, जितने कि उस वक्त मौजूद थे। आज भी गवर्नमेंट आफ इंडिया की तमाम मिनिस्ट्रीज मौजूद हैं। यह तमाम ऐडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है। इस के बाद नई दिल्ली का ऐडमिनिस्ट्रेशन अलग होगा और डवलपमेंट अथॉरिटी का ऐडमिनिस्ट्रेशन अलग होगा। इन हालात में कई कमेटियाँ और ऐसी बनानी पड़ेंगी, जिन का काम होगा इन मुस्तलिफ ऐडमिनिस्ट्रेशन के कामों को कोऑर्डिनेट करना। इस सिलसिले में सब से पहला काम होगा टैक्स क्लैकेशन और फिर उस का डिस्ट्रीब्यूशन करना। इस तरह के कई धीरे-धीरे पैटर्न आँवेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इन चार तरह के ऐडमिनिस्ट्रेशन—

[बी० ब्रह्म प्रकाश]

एडमिनिस्ट्रेशन, कारपोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन और डेवेलपमेंट प्रचारिटी एडमिनिस्ट्रेशन—में को-ऑर्डिनेशन करने की बड़ी आवश्यकता होगी और इसी वजह से लंडन काँटी काँसिल का सिस्टम इस एडमिनिस्ट्रेशन की तकसीम से सफर करता है और उस पर यह एक बड़ा जबर्दस्त एतराज है।

नई दिल्ली और डेवेलपमेंट प्रचारिटी को जो भ्रम लग रहा गया है, उस की बहुत सी वज्रुतायें थी हैं। मैं समझता हूँ कि वह सहो हो सकती हैं होम मिनिस्टर साहब की राय में और दूसरे साधियों की राय में, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटिव नुक्ता नजर से वे मुनासिब नहीं हैं। यह ठीक है कि इस बिल में ५१५ बलाज हैं और कारपोरेशन के मातहत करीब पाच सौ मील का रकबा है, लेकिन कोई क्लोजिज और मीलो से किसी बिल में खूबी नहीं आ सकती।

जब तक फाइनेन्शियल रीसोर्सेज का ताल्लुक है, दस करोड़ का बजट है। मेरे पास इस वक्त ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन अगर मैं इस को तकसीम करने लूँ, तो भीजूदा एडमिनिस्ट्रेशन को जो बजट इस वक्त मिल रहा है, उस से उस को चलाना नामुमकिन हो जायेगा। इस में सब से बड़ा हाउस टैक्स होगा। लेकिन वह एक दिन में बढ़ नहीं सकता है। एन्टरटेनमेंट टैक्स की आय तकरोबन चालीस लाख की होगी। जहाँ तक मुझे रफली याद है मैं ने इस सिलसिले में एक्सपर्ट्स से और दीगर साहबान से बात की है, और मैं इस काम में काफी धरसा रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि डेवेलपमेंट प्रचारिटी को जो तमाम अस्तिबारात दिये गये हैं, उन के लिये जो स्टाफ रखा जायेगा, वह बहुत ज्यादा होगा, कई लाख का होगा उस का बजट, लेकिन उस के पास काम बिल्कुल नहीं होगा। मास्टर प्लान बनाने का काम खत्म हो चुका है और खत्म हो रहा है। उस के लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया में एक नया महकमा

बोला जा रहा है, जिस का काम होया कि वह इन सब कार्यवाहियों को को-ऑर्डिनेट करे, एक तरह से डायरेक्शन दे और यह स्टडी करे कि किस तरह से सिटी प्लानिंग और टाउन प्लानिंग किया जाय। यह सारा पैराफरनेलिया रखा जाय, दो, ढाई, तीन हजार पाने वाले आफिसर्स रहें, डी० डी० पी० ए० का पूरा स्टाफ रहे और उन का काम यह हो कि जब जरूरत पड़े, तो किसी एरिया को डेवेलप किया जाय। और यह मैं समझता हूँ कि भगसे दस सालों में किसी एरिया को डेवेलप करने के लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया से कोई बहुत बड़ी रकम नहीं मिल सकती है। डेवेलपमेंट प्रचारिटी अगर किसी एरिया को डेवेलप करेगी, तो उस को डेवेलप कर के कारपोरेशन को दे देगी, लेकिन सारी रकम गवर्नमेंट आफ इंडिया ही खर्च करेगी। मैं यह जानना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट आफ इंडिया जो रकम खर्च करेगी, क्या वह रकम कारपोरेशन को नहीं दी जा सकती है। क्या यह काम स्टैचुटरी कमेटी को नहीं दिया जा सकता? उसी बजट में वही काम हो सकता था, जो कि आप ने डेवेलपमेंट प्रचारिटी के लिये तजवीज किया है।

मैंने समझने की बहुत कोशिश की है। मैं ने दूसरे मुक्तों के इस तरह के कामों को स्टडी करने की कोशिश की है और मीके पर जा कर देखा है, लेकिन अभी तक मेरी समझ में नहीं आया कि डेवेलपमेंट प्रचारिटी को रखने की क्या जरूरत है और नई दिल्ली को भ्रम लगाने की क्या जरूरत है। कहा जाता है कि नई दिल्ली के तमाम लोग मुलाजिम होंगे और सारी गवर्नमेंट की जायदाद होगी। यह तो और भी अच्छा है कि अगर इन्तजाम कारपोरेशन के पास जाये, तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग आफ थू से आप बहुत सी दिक्कतों और खर्च से बच जायेंगे। नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी का तमाम खर्चा गवर्नमेंट नहीं देती है। विजली बोर्ड से उस को जो बिजली मिलती है

जो कि आइन्दा उस को कारपोरेशन से मिलेगी उस के लिये कन्ज्यूमर्स से जो ज्यादा चार्ज किया जाता है, उस से उस का खर्चा चलता है। जहाँ तक एजुकेशन ग्रान्ट का ताल्लुक है, वह तो आप ग्रान्ट देने के उसूलों के मुताबिक सभी को देते हैं। मेरी समझ में नहीं आया कि इस के लिये एक अलग पैराफरनेलिया क्यों रखा जाय। मैं यह भ्रज करना चाहता हूँ कि इस से खर्च तो बहुत बढ़ेगा और एफि-सैन्सी कम होगी।

नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी इलैक्टिड नहीं, नामिनेटिड होगी। इन नामिनेटिड कमेटीज के बारे में मेरा भी हाथ रहा है। जब इलैक्शन नहीं की जा सकती थी, तो कमेटी को नामिनेट कर दिया, लेकिन हम ने नामिनेटिड कमेटीज का हथ बहुत खराब होते देखा है। वहाँ की हालत इतनी खराब हो जाती है और वहाँ का इन्तजाम इतना खराब हो जाता है जो कि इलैक्टिड कमेटीज में होना मुश्किल है। इलैक्टिड कमेटीज में दिक्कतों को दूर किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर लोगों की आवाज होती है। वे अपने इलाके के लिये इन्तजाम के लिये, सफाई के लिये बोलते हैं, और रुपया मांगते हैं। बहुत सी बातें होती हैं, जो कि वे कर सकते हैं और नामिनेटिड मेम्बरज नहीं कर सकते हैं।

सिबिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है? यह ठीक है कि एक्सीक्यूटिव और डीप्लोमेटिक फंक्शन्ज अलग होने चाहियें। मिनिस्टर्ज और सेक्रेटरीज के काम अलग होने चाहियें। जहाँ बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो इलैक्टिड मेम्बरज सारा काम नहीं कर सकते हैं। मिनिस्टर्ज के काम में हम पार्लियामेंट के मेम्बर बखल नहीं दे सकते हैं और न देना चाहिए, उससे इतिजाम खराब होगा। तो क्या मेयर इलैक्टिड नहीं है, क्या उसको इतिजाम की पावर नहीं दी जा सकती। एक दूसरा तरीका भी है और वह कमेटी सिस्टम का है। जो सिबिक बाडीस का इतिजाम होता है जो कारपोरेशंस का इतिजाम होता है, जो मेट्रोपोलिटन गवर्नमेंट का इतिजाम

होता है वह ज्यादातर कमेटीज के जरिये से चलता है और एक तरह से मैं समझता हूँ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन इज कमेटी एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ जो कमेटीयां दी गई हैं वे बम्बई के पैटर्न पर भी नहीं दी गई हैं। इसका मतलब यह है कि जो पावर है वह कंसंट्रेट कर दी गई है एक कमिश्नर के अन्दर और कमेटीस को पावर ट्रांसफर नहीं की गई है। यहाँ पर एक हेल्थ कमेटी है, एजुकेशन कमेटी यहाँ इस वकत डाली गई है। कर मांगें पेश की गई थीं जिन को अस्वीकार कर दिया गया था। इन कमेटीस को स्टेचुटरी कमेटीस भी नहीं बनाया गया है। टाऊन इम्प्रूवमेंट के बारे में जो कमेटी थी वह एक बहुत ही जरूरी कमेटी थी और वह एक स्टेचुटरी कमेटी होनी चाहिये थी। रूरल एरिया को इसके अन्दर जगह दी गई है। इस बिल के अन्दर ४५० सक्वेयर मील से भी ज्यादा का रूरल एरिया इसके अन्दर शामिल किया गया है। मुझे आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैंने यह कहा था कि रूरल एरिया को कारपोरेशन के अन्दर शामिल कर दिया जाए। मैं ने यह तजवीज यह समझ कर की थी कि यहाँ पर यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेशन होगी और गवर्नमेंट की पावर उसको बेसक नहीं होगी लेकिन बाकी सभी पावर उसको होगी। मुझे आज खतरा मालूम देता है कि जो रूरल एरिया को इसके अन्दर शामिल कर दिया गया है इस बम्बई पैटर्न की कारपोरेशन के अन्दर यह एक बहुत भारी गलती हुई है क्योंकि इससे तमाम जो रूरल एरिया का इतिजाम है, जो वहाँ का सारा डिवेलपमेंट है, लेड का डिवेलपमेंट है, वहाँ की लाइफ है, वह जाहिरा तो तमाम की तमाम आपकी कारपोरेशन से बाहर नहीं पर वहाँ का इतिजाम करने के जो अस्त्यारात दिए गए हैं, उससे वहाँ की रोजमर्रा की जिन्दगी से कोई तात्सुक नहीं रह गया है। अगर उस एरिया को कारपोरेशन में दाखिल करना ही था तो आपको चाहिये था कि आप उसको स्टेचुटरी अस्त्यार दे देते और उस सूरत में कुछ कामयाब होना मुम्किन था।

[चौ० ब्रह्म प्रकाश]

इस सिलसिले में मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि जो इतिजाम हिमाचल प्रदेश और मनीपुर को दिया गया है—हालांकि वह भी नाकाफी है और वहाँ के लिए भी ज्यादा अस्त्यार दिए जाने की मांग की जा रही है—और जो बहुत छोटे से प्रदेश है और जिन के बारे में इससे भी छोटा और पतला बिल यहां पर पेश किया गया था, उस पतले बिल के जरिये भी ज्यादा अस्त्यार दिए गए थे बनिस्बत इस बड़े कारपोरेशन बिल के। वहाँ तमाम अस्त्यारात सिबाय ला एंड आर्डर के, यूनिवर्सिटी एजुकेशन और कोर्ट के, बाकी तमाम उनको सौंप दिए गए हैं। जो चेयरमैन होगा वह होलटाइम डिगनेटरी होगा और उस एक्ट में यह दिया हुआ है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया इस चीज को तय करेगी कि उस चेयरमैन को क्या अस्त्यार दिया जाए। इसका मतलब यह है कि जितने अस्त्यारात की वहाँ के लोग मांग करेंगे और जितने अस्त्यारात को हासिल करने की कोशिश करेंगे उनमें से जितने गवर्नमेंट चाहेंगी उनको सौंप देगी। यह चीज प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा हायर सेकेंडरी एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, मैडिकल, कम्युनिटी डिबेलेपमेंट इत्यादि तमाम चीजे उसको सौंप दी गई हैं। मेरा अंदाजा यह था कि ज्यादा नहीं तो ये तमाम के तमाम इतिजामात इस कारपोरेशन के सुपुर्द होंगे और यहां पर कमिशनर को वह शकल नहीं दे दी जाएगी जो बम्बई में दी गई है। इस से तो दिल्ली के अन्दर एक तरह से न्यूरोकेटिक एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ेगी। वैसे भी यहां पर गवर्नमेंट आफ इंडिया है और जहां पर गवर्नमेंट आफ इंडिया हो, वहां पर एक तरह की कोशिश होती है कि ज्यादातर अस्त्यार कमिशनर को दे दिए जायें और यहां पर दे दिए गए हैं। यहां पर स्टेबुटरी कमेटियां कम बनाई गई हैं और उनकी अगह पर कमिशनर काम को चलायेगा। जनाब मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन का जोड़ा बहुत तजुर्बा मुझे भी हासिल है। मैं भी इस न्यूरोकेटी से जोड़ा बहुत वाकिफ हूँ।

मे मानता हूँ कि उसमें काफी काबलियत होती है और वह कोशिश भी करती है कि ठीक तरह से काम हो। लेकिन जो एक पापुलर टच होता है, लोगों के वास्ते काम करने की जो शक्ति होती है, जो इनिशियेटिव होता है, जो ड्राइव होता है, जो रिसर्पौस होता है, इसमें वह उतना नहीं आ सकता है जितना कि दूसरी तरह से। यह बहुत लम्बा चौड़ा बिल है और यहां पर गवर्नमेंट आफ इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन है लेकिन इससे हालात बेहतर नहीं हो सकते। मैं टेक्सों का जिक्र पहले ही कर चुका हूँ और मैं ने कुछ तजवीजें पहले भी पेश की थीं और आज भी पेश की हैं लेकिन मुझे डर है कि वे कबूल नहीं होंगी और ऐसी हालत में बावजूद इसके कि इसके बाद दिल्ली में जो इस वक्त हालात हैं उनके मुकाबले में बाद में इम्प्रूवमेंट होगी, जो इस वक्त हालात हैं वे अच्छे होंगे लेकिन दिल्ली की समस्या का हल—उस समस्या का हल जिस का जिक्र कि सन् १९१८ से बराबर होता आया है जिस का जिक्र न सिर्फ दिल्ली के लोगों के बल्कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के रेजोल्यूशनों में होता आया है, जिस का जिक्र १९३०, १९३८, १९४५, १९४७, १९५०, १९५२ और १९५७ में हुआ है—तब तक नहीं हो सकता जब तक उसकी असली शिकायत को दूर नहीं किया जाता और उनकी जो मांग है, उसको मंजूर नहीं किया जाता। ऐसे हालात में मुझे डर है कि यह तजुर्बा लोगों के लिए नातस्सलीबस्स रहेगा और न ही लोगों को पूरी सहमियत पहुंचा सकेगा।

लेकिन एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा अगर होम मिनिस्टर साहब यह महसूस कर लेते कि बाकई में दिल्ली के लोगों को इससे इतनी मुसीबत और तकलीफ का सामना करना पड़ेगा और दिल्ली के लोग उस मुसीबत और तकलीफ का इजहार होम मिनिस्टर साहब को कर पाते तो वह उन शक्तियों में से है जो एकदम पब्लिक ओपिनियन को अगर वह

ठीक होती, तो रिसर्पोंड करते। बदकिस्मती से हम अपनी बात को पूरी तरह से उनको समझा नहीं पाए और उनको पूरी तरह से कनविस नहीं कर पाए और इसका नतीजा यह है कि यह बिल हमारे सामने मौजूद है। बहरहाल जो कुछ भी है, मुझे मालूम है, इसमें कोई खास बड़ी ग्रहण तबदीली नहीं होने वाली है। लेकिन आने वाला वक्त इस बात को बतलायेगा कि जो ठर में ने आज जाहिर किया है जो शुबहे में ने आज जाहिर किए हैं, वे कहां तक सही थे और दिल्ली का क्या सही हल हो सकता है। यहां पर नई दिल्ली का बहुत जिक्र है। नई दिल्ली जो है वह यहां पर पापुलर गवर्नमेंट को लिए बैठी है। मगर यह कह कर कि यहां पर कैपिटल है और नई दिल्ली और दिल्ली को अलग रहना चाहिए, काम नहीं चल सकता है। यहां पर स्टेट असंबली को खत्म किया गया और पापुलर गवर्नमेंट को हटाया गया। अब जब नई दिल्ली अलग है तो मुझे नहीं पता कि अब यह सवाल उठेगा कि दिल्ली में पापुलर मिनिस्ट्री होनी चाहिए और मैं समझता हूं कि वह उठेगा क्योंकि वह आज से नहीं सन् १९१८ से उठता चला आया है और सन् १९१८ से ही नहीं बल्कि १९१४ से उठता चला आया है जब कि यहां के लोग उस वक्त वाइसराय को मिले थे, तो उसका क्या नतीजा होगा, आया वह बन्द हो जाएगा या नहीं। यह हो सकता है कि जनता कुछ दिनों के लिए चुप हो जाए, तजुर्बा करने के लिए शायद वह चुप हो जाए लेकिन दिल्ली वालों की जो असली मांग है, उनकी जो असली जरूरत है वह पूरी हुए बिना नहीं रहेगी और दिल्ली के लोग उसके लिए बराबर कोशिश करते रहेगे।

श्री बाजपेयी (बलरामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य पुनर्गठन आयोग ने जब दिल्ली की गुड़िया सरकार को खत्म करने और यहां एक उच्चाधिकार कारपोरेशन बनाने की सिफारिश की थी उस वक्त दिल्ली की जनता ने उसका स्वागत किया था। मेरी पार्टी भारतीय जन संघ ने भी दिल्ली की असंबली

को तोड़ने के सुझाव का समर्थन किया था किन्तु समर्थन में यह शर्त लगी थी कि दिल्ली असंबली का स्थान जो भी कारपोरेशन से वह उच्चाधिकार सम्पन्न होनी चाहिये और सभी जीवन की समस्याओं के बारे में, दिल्ली के नागरिक जीवन के बारे में उसे निर्णय करने का पूरा अधिकार होना चाहिये। लेकिन जो भी आशायें की गई थीं प्रस्तुत विधेयक के द्वारा उन पर पानी फिर गया है।

जिस स्वरूप में यह बिल पेश किया गया है वह अप्रगतिशील, प्रतिक्रियावादी तथा अलोकतन्त्रात्मक है और दिल्ली की जनता की आशाओं को किसी भी अर्थ में पूरा नहीं करता।

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियाँ) : लोकतन्त्र की परिभाषा बता दीजिये।

श्री बाजपेयी : लोकतन्त्र की परिभाषा करने का यह समय नहीं है

आप स्वयं इसी लोकतन्त्र के द्वारा यहां निर्वाचित होकर आये हैं।

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियाँ) : ऐसे ही वहां भी निर्वाचित होकर जायेंगे।

श्री बाजपेयी : निर्वाचित होकर तो जायेंगे लेकिन

उपाध्यक्ष महोदय : इस बहस को आपस में ही न चलाया जाये, मुझे भी साथ में लिया जाये।

श्री बाजपेयी : खैर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि लोकतन्त्र का जो रूप इस विधेयक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, वह दिल्ली की जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं करता। नई दिल्ली को प्रस्तावित कारपोरेशन से अलग रखने के लिये जो भी तर्क दिये गये हैं, वे बड़े लचर हैं। माननीय

[श्री बाजपेयी]

गृह-कार्य मंत्री अपने पांडित्य से और अपने लब्ध चातुर्य से जो व्यवस्था असमर्थनीय है उसे समर्थनीय बना सकते हैं लेकिन इस विधेयक के द्वारा नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली के बीच में जो भिन्नता और पृथक्ता की दोवार खड़ी की जा रही है उसे किसी भी अर्थ में अवांछनीय नहीं माना जा सकता।

नई दिल्ली कहा खत्म होती है और पुरानी दिल्ली कहा शुरू होती है इसका फैसला राज्य पुनर्गठन आयोग भी नहीं कर सका। लेकिन इस विधेयक के लिये नई दिल्ली की सीमाओं को कुछ मकुचित किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है। उसके लिये यह तर्क दिया गया है कि यहाँ सरकारी कर्मचारी रहते हैं। क्या सरकारी कर्मचारी होना कोई अपराध है जिसके लिए कि न केवल उन कर्मचारियों को बल्कि दिल्ली के बाकी सभी लोगों को बंद दिया जा रहा है? यदि सरकार का कर्मचारी होना कोई अपराध नहीं है और वे मतदाता हैं और नई दिल्ली में केवल वे ही नहीं रहते, उनके आश्रित भी हैं, उनके परिवार भी हैं तो उन्हें अपने नागरिक जीवन का संचालन करने के स्वाभाविक अधिकार से क्यों वंचित किया जा रहा है, यह समझने में मैं अपने को असमर्थ पाता हूँ। यहाँ जो भी सरकारी भवन या इमारतें हैं, उनके लिये क्या इस विधेयक में ऐसी व्यवस्था नहीं की जा सकती थी कि कारपोरेशन का निर्माण होते ही वे सारे भवन कुछ अपवादों को छोड़ कर जिनका कि संकेत मैं ने अपने संशोधन में किया है, उदाहरण के लिये राष्ट्रपति भवन या संसद् भवन, बाकी की सारी इमारतें इस नव-निर्मित कारपोरेशन के अधीन की जा सकती थीं। उनका अधिकार, उनका प्रभुत्व सभी कारपोरेशन को सौंपा जा सकता था। आज भी नई दिल्ली में जीवन के लिये आवश्यक वस्तुओं को चलाने के निमित्त जो ग्रामद्वी नई दिल्ली म्युनिसिपल कमिटी प्राप्त करती है, अगर वह प्रस्तावित कारपोरेशन को मिले

तो मैं नहीं समझता कि यहाँ का प्रबन्ध वह ठीक तरीके से नहीं चला सकता। लेकिन ऐसा मासूम होता है कि कारपोरेशन बनाया जा रहा है अगर उसके ऊपर पूरा विश्वास नहीं है। उसकी कार्यक्षमता के बारे में, उसकी योग्यता के बारे में, उसमें चुने जाने वाले सदस्यों की निपुणता के बारे में जो विधेयक के निर्माता हैं उनके हृदय में स्वयं सन्देह है, शक है और एक दृष्टि से दिल्ली की जनता की कार्यक्षमता में अविश्वास प्रकट किया गया है।

अभी माननीय गृह मंत्री ने कहा कि कारपोरेशन ५०० वर्ग मील के इलाके का प्रबन्ध करेगा और अगर १५ वर्ग मील का उसने प्रबन्ध नहीं किया तो उससे क्या बिगड़ने वाला है। मैं इसी प्रश्न को दूसरी तरह से उनके सामने रख सकता हूँ और वह इस तरह कि अगर कारपोरेशन का आप विश्वास करते हैं कि वह ५०० वर्ग मील के क्षेत्रफल का उचित रीति से प्रबन्ध कर सकता है तो १५ वर्ग मील का क्षेत्र उससे बाहर रखने का क्या औचित्य है? अगर वह ५०० वर्ग मील का प्रबन्ध कर सकता है तो वह १५ वर्ग मील का प्रबन्ध भी कर सकता है। लेकिन ज्ञात होता है कि दिल्ली की जनता के सामने अभी कठिनाइयाँ बाकी हैं और इस विधेयक के द्वारा उसे जो सुविधाएं मिल रही हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिये उसको अपना संघर्ष जारी रखना पड़ेगा।

कारपोरेशन के प्रतिरिक्त एक डेवलपमेंट एथारिटी भी बनाई जा रही है। अभी तक वह अस्थायी थी, अब उसे स्थायी किया जा रहा है। मैं ने उस चर्चा को पड़ा जो इस सम्बन्ध में सेलेक्ट कमिटी के सदस्यों की दिल्ली म्युनिसिपल कमिटी के प्रधान के साथ हुई और मैं ने देखा कि गृह मंत्री महोदय ने बड़ी कुशलता से दिल्ली नगरपालिका के प्रधान को इस बात के लिये तैयार कर लिया कि अगर डेवलपमेंट एथारिटी अलग रहे तो इस समय कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। लेकिन इस बात से

ईकार नहीं किया जा सकता कि दो संस्थाएं एक ही समानान्तर विधा में जायेंगी। उनके कार्यों के बारे में आपस में मतभेद पैदा होगा और गतिरोध उत्पन्न होंगे और दिल्ली के विकास के लिये जो प्रबन्ध किया जा रहा है वह दिल्ली के विकास को अवलम्ब कर देगा। अभी तक ऐसे उदाहरण / सामने आ चुके हैं और ऐसा लगता है कि हम अनुभवों से कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं हैं। दिल्ली का विकास यदि रुका है तो उसमें एक कारण यह भी है कि जिनके ऊपर विकास का उत्तरदायित्व है, वह उत्तरदायित्व बंटा हुआ है। वह भाषा की जाती थी कि उसका एकीकरण किया जायगा लेकिन वह भाषा अभी पूरी नहीं हुई। इस सम्बन्ध में एक पृथक विधेयक आ रहा है। यहां मैं इससे अधिक कुछ और नहीं कहूंगा।

कारपोरेशन को जो अधिकार दिये गये हैं वे भी अपर्याप्त हैं। किसी भी अर्थ में उसे उच्चाधिकार सम्पन्न कारपोरेशन नहीं कहा जा सकता। और सेक्रेटरी एजुकेशन भी उसे नहीं दी है और क्यों नहीं दी है क्योंकि धन नहीं है। आखिर आज भी दिल्ली में माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। उसके लिए धनराशि देना, साधन जुटाना केन्द्रीय सरकार का दायित्व है। अगर प्रस्तावित कारपोरेशन के अधीन माध्यमिक शिक्षा दे दी जाय और केन्द्रीय सरकार उसके सम्बन्ध में अपने उत्तरदायित्व का निरन्तर पालन करती रहे, तो मैं नहीं समझता कि किसी तरह की कोई कठिनाई पैदा होगी। लेकिन फिर कहा जाता है कि जो जनता द्वारा चुन कर आयेंगे उनमें शिक्षा शास्त्री कितने होंगे, विशेषज्ञ कितने होंगे और क्या वह माध्यमिक शिक्षा को चला सकेंगे? अगर जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि भारतीय गणराज्य का शासन चला सकते हैं और जिस शासन पर उस घोर बैठे हुए हमारे सदस्यों को गर्व है, तो दिल्ली की जनता पर यह अविश्वास क्यों किया जा रहा है कि वह ऐसे प्रतिनिधियों को निर्वाचित

नहीं करेगी जो अपनी माध्यमिक शिक्षा का इंतजाम अपने आप कर सकें। लेकिन मैंने आपसे निवेदन किया कि मन में एक अविश्वास काम कर रहा है, एक सन्देह घर कर गया है, शायद उसका कारण वह तथाकथित उत्तरदायी सरकार है जो दिल्ली में चलती रही है लेकिन अगर हम इस कारपोरेशन के द्वारा दिल्ली के राष्ट्रीय जीवन में एक नये अध्याय का श्रीगणेश करना चाहते हैं, तो अपने मन में मे अन्तःकरण में से यह अविश्वास हटा देना होगा। दिल्ली का प्रस्तावित कारपोरेशन माध्यमिक शिक्षा का प्रबन्ध कर सकता है, साधन जुटाना केन्द्रीय सरकार का काम है। जहां तक दिल्ली की जनता का सवाल है, उसके ऊपर यह विश्वास किया जाना चाहिए कि वह अच्छे और योग्य प्रतिनिधि भेजेंगी। मगर यह विश्वास नहीं किया गया और उसका प्रमाण एक और है कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ कुछ और भी लोग चुने जायेंगे, जनता द्वारा नहीं, बल्कि चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा चुने जायेंगे, उन्हें आल्डरमेन कहा गया है। उनकी क्या आवश्यकता है? यह अलोकतांत्रिक व्यवस्था है। चुनाव में हारे हुए, जनता द्वारा ठुकराए हुए, अगर पार्टी द्वारा पुरस्कृत लोगों को चोर दरवाजे से लाने की व्यवस्था की जा रही है, ऐसा मुझे लगता है। और अगर ऐसा नहीं किया जा रहा है तो राजनीतिक पार्टियों पर और जनता पर विश्वास किया जाना चाहिए कि वह चुनाव में अच्छे लोग चुन कर भेजेंगी जो कि कारपोरेशन का प्रबन्ध चलाएं। यह आल्डरमेन की व्यवस्था करने का कोई कारण नहीं है। अनुभव बताता है कि जो लोग सीधे दरवाजे से नहीं घुस सकते, जनता के द्वारा नहीं चुने जा सकते, या जिन्हें पार्टियों की आन्तरिक फूट के कारण दल के सिर पर बिठाया जाना है, उनके लिए खिड़की खोली जा रही है। दिल्ली की जनता इस खिड़की का खोला जाना पसन्द नहीं करेगी। कारपोरेशन को सच्चे अर्थों में लोकतन्त्रात्मक होना चाहिए। प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने

[श्री बाजपेयी]

हुए प्रतिनिधियों से अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को मिला कर लिचबड़ी पकाने की जरूरत नहीं है। लिचबड़ी बीमार आदमियों के काम आ सकती है, दिल्ली की सबसे और स्वस्थ जनता के लिए यह लिचबड़ी पकाई जा रही है और भाषा की जा रही है कि दिल्ली की जनता इसका स्वागत करेगी। जिस रूप में यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है, दिल्ली के लोग उससे सन्तुष्ट नहीं हैं। हम भाषा करते थे कि प्रवर समिति से बिल साफ और सुधरे रूप में निकलेगा, संवारा जाएगा, सुधारा जाएगा और ऐसे रूप में पेश किया जाएगा कि दिल्ली के लोग उसका स्वागत कर सकें, लेकिन यह भाषा पूरी नहीं हुई।

एक माननीय सदस्य : कैसे मालूम हुआ ?

श्री बाजपेयी : विधेयक ऐसे रूप में प्रस्तुत हुआ है जिसमें जो भी व्यवस्था की जा रही है, वह न केवल अपूर्ण है, किन्तु प्रशासन की दृष्टि से भी जिसमें अनेक कठिनाइयां खड़ी होंगी। जहां तक कारपोरेशन की आमदनी का सवाल है, केन्द्रीय सरकार कुछ टैक्सों में से कारपोरेशन को भंश देकर उसकी आमदनी बढ़ा सकती है। यह कारपोरेशन हमारी दिल्ली की लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था का आधार होगा। पार्लियामेंट और कारपोरेशन के बीच में कोई संस्था नहीं है। दिल्ली की असेम्बली टूट गई। उसके लिए मैं आसू बहाने वालों में नहीं हूँ। जो बीत गई वह बीत गई। मगर जो कारपोरेशन उसकी जगह ले रहा है उसके अधिकार बढ़ाए जाएं, उसकी आमदनी के साधन बढ़ाए जाएं। वह सभी बातों में लोकतन्त्रात्मक हो, प्रगतिशील हो और दिल्ली की जनता की भाषाओं और आकांक्षाओं को पूरी कर सके, इस बात की आवश्यकता है। जब यह बिल इस कसौटी पर कसा जाता है तो निराशाजनक है, आशाओं के विपरीत है। मैं इसका विरोध

करता हूँ और मैं ने एक एक क्लाइ के लिए संशोधन दिए हैं। मैं कबम कबम पर दिल्ली की जनता के अधिकारों के लिए इस सदन में लड़ंगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री० प्र० सि० बीलता (अज्जर) : डिप्टी स्पीकर साहब पेशतर इसके कि मैं इस कारपोरेशन बिल पर कुछ धर्जे करूं, मैं हाउस की तब्रज्जह, आपकी इजाजत से, उन हजारों आदमियों के दम्स्तों की तरफ दिलाता हूँ जिनको तमाम देहात की जनता में, तमाम सरपंचों और उन गांवों की तरफ से जिनमें ग्राम सभाएं बनी हैं...

श्री नवल प्रभाकर : दिल्ली में ग्राम सभाएं हैं ही नहीं।

श्री० प्र० सि० बीलता : जो संस्था उनके रिप्रेजेन्टेशन के वास्ते हैं और जिनसे चौबरो ब्रह्मप्रकाश ने बड़ा जोर लगाकर दस्तखत मांगे और जो हमने हाउस को बी है।

श्री० ब्रह्म प्रकाश : नहीं, नहीं, मैंने नहीं मांगे हैं।

श्री० प्र० सि० बीलता : अब आप डरते क्यों हैं? जहां तक बिल का ताल्लुक है उस पर मेरी पहली नुक्ता चीनी यह है कि कारपोरेशन का जो दायरा खींचा गया है वह दायरा गलत है। जितना हिस्सा कारपोरेशन के साथ होगा उसमें नई दिल्ली को अलग करने की जो गलती हुई है, मुझे पता नहीं मैं नर्म से नर्म कीन से अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल करूं, उस गलती का दुनिया के कारपोरेशन में कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन उसी बिल से एक ऐसी गलती आपने कर दी कि उसकी मिसाल भी मिली, और वह यह है कि आपने ३०० देहातों के लोगों को कारपोरेशन के साथ शहरी आबादी के सिविक ऐडमिनिस्ट्रेशन में ठूस दिया। वरना कोई मिसाल नहीं मिलती। नई दिल्ली को अलग रखने का भी एक अजीब मस्तक दिया जाता है। एक बलील यह दी जाती है

कि साहिब, इतना सम्भा-सम्भा रकबा कारपोरेशन में दे दिया गया, अगर उसमें १५ मुरम्बा मील का रकबा निकाल दिया तो क्या हो गया। जनाब, छः फुट का घादमी लड़ा है, आप उसका कलेजा निकाल रहे हैं और यह बलील देते हैं कि छः फुट का सम्भा घादमी लड़ा है, क्या हुआ अगर डेढ़ इंच की बोटी निकाल ली? हुकीकत यह है कि देहात के एरिया को दिल्ली कारपोरेशन को वजूद देने के लिए इस्तेमाल न किया जाए। हार्ड कैसट यह है कि नई और पुरानी दिल्ली के दो प्रब्लम यूनिट्स जो थे उनके खिलाफ हमेशा आबाज उठती रही कि यह तमीज खत्म होनी चाहिए। लेकिन वह खत्म नहीं हुई। नई दिल्ली को पुरानी दिल्ली में घसग रक्खा गया। आज देहात के एरिया को लेकर कारपोरेशन के रकबे में दे दिया गया है। क्या अच्छा हो कि नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली दोनों ही इस कारपोरेशन से निकाल दिए जाएं तब भी रकबा इतना सम्भा हो जाता है कि धानरेबल होम मिनिस्टर साहब अच्छी तरह कह सकते हैं कि अगर नई और पुरानी दोनों दिल्लीया कारपोरेशन से निकल गईं तो भी क्या हुआ। फिर भी तो कोई ४०० मील का रकबा कारपोरेशन में रह जायगा।

दूसरी बलील : इस में तमाम सरकारी मुलाजिम रहते हैं और सरकारी मुलाजिम मेम्बर मुन्तखिब नहीं हो सकते। अगर बाहर के लोग आ कर मुन्तखिब हों इन बाबों से तो यह निगेशन होया डिमाक्रेसी का। मैं कहता हूँ कि दोनों बातें गलत हैं। नम्बर एक यह कि नई दिल्ली में सिर्फ सरकारी मुलाजिम बसते हैं। नई दिल्ली में हुकान्दार भी हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट्स भी हैं, बनिये भी हैं, नई दिल्ली में अफसर लोग भी हैं, उन की बीवियां भी हैं। दूसरी बात भी गलत है कि सरकारी मुलाजिम सिविल ऐडमिनिस्ट्रेशन में एम्प्लेशन नहीं लड़ सकते। वह जरूर लड़ सकते हैं आप के जरिये इजाजत दिये जाने पर। और फिर अगर सरकारी मुलाजिम एम्प्लेशन नहीं लड़ सकते तो उन की बीवियां तो हैं, वह भी पढ़ी लिखी हैं, वह अपने

काबिंदों की नुमाइन्दगी कर सकती हैं। और वह भी न कर सकें तो दूसरे भी हैं। नई दिल्ली में हुकीकत में ७० लाख रु० की प्रापर्टी टैक्स और हाउस टैक्स की आयदाद सरकारी है, कोई १५ लाख रु० की गैर-सरकारी है। जो गैर-सरकारी प्रापर्टी के लोग रहते हैं वह उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे। और अगर वह भी नहीं कर सकते, तो पुरानी दिल्ली वाले आ कर कर लेंगे। मेरी समझ में यह नहीं आता कि यह कौन सा निगेशन आफ डिमाक्रेसी हो जायगा। मैं आप को याद दिलाऊँ कि अम्बाला डिवीजन की पालियामेंट में नुमाइन्दगी करने का दिल्ली को फल्य है। अम्बाला में रहने वाले लोगों की नुमाइन्दगी करने के लिये कोई औरत या भर्द इस काबिल नहीं समझा गया जो अम्बाला का रहने वाला हो और रूलिंग पार्टी का यहां रहने वाला एक कैंडिडेट पालियामेंट में वहां की नुमाइन्दगी करता है। मेरी एक बहन को जोकि पुरानी दिल्ली की है वहां से खड़ा किया गया। क्या इस तरह यह डिमाक्रेसी का निगेशन नहीं है? मेरी एक और बहन दिल्ली की कुर्सी से उठ कर दूसरे स्टेट से इस पालियामेंट की मुमताज मेम्बर हैं। मैं कहता हूँ कि यह क्या मन्तक है आप का कि पुरानी दिल्ली का कोई घादमी अगर आ कर नई दिल्ली से रिप्रेजेंट करेगा तो जमहूरियत का निगेशन होगा।

जहां तक तीसरी चीज का ताल्लुक है, मैं धानरेबल मेम्बर बाजपाई जी को धर्य करूँ कि सरकारी मुलाजिमों पर दया करने की जरूरत नहीं। मैं धानरेबल होम मिनिस्टर साहब से ऐसी करता हूँ कि वह इस कारपोरेशन की जद में नहीं धाना चाहते। उन से हमदर्दी करने का कोई सबाल नहीं है। मैं ने एक मेमोरेण्डम पढ़ा है। कैनाट प्लेस के तज्जारों ने उस को सकुंलेट किया है। उसे पढ़ने के बाद जाहिर होगा कि किस जहूनियत के लोग वह हैं। वह लोग कोशिश कर के इस कारपोरेशन से अलग रहना चाहते हैं। मैंने यह बात अभी और मैं सोचने लगा

[बी० प्र० सि० बीलता]

कि कब यह जम्हूरियत खत्म होगी। लोग तो चाहते हैं कि नई दिल्ली का कारपोरेशन में आना। हाँ, हाई ब्यूरोक्रेट्स और हैं, बड़े बड़े तज्ज्जार नहीं चाहते कारपोरेशन के सामने अपने सबालो को रखना। वह लोग उन को कारपोरेशन के मेम्बरों के आगे नहीं रखना चाहेंगे क्योंकि वह खुले कारपोरेशन में फँसला करवाने के आदी नहीं। वह हमेशा से रेस्टोरां में, क्लब में ब्यूरोक्रेट्स के आगे बैठ कर रात में अपने काम निकालने के आदी रहे हैं। वह लोग नहीं चाहते कि कारपोरेशन की ओर में वह आये।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि नई दिल्ली को पुरानी दिल्ली से अलग रखने की कोई लाजिक नहीं है, कोई दलील नहीं है। एक और दलील दी जाती है। बड़ी मेहरबानी की जाती है कारपोरेशन पर। कारपोरेशन बच्चा है, नई दिल्ली में बिल्डिंग्स सरकारी हैं, उन पर टैक्स लगेगा नहीं। कारपोरेशन का रकबा लम्बा है। उन को इस रकबे को भी डेवेलप करना होगा। अगर हम इस बगैर टैक्स की प्रोपर्टी को उस को दे देंगे तो इस छोटे बच्चे पर भारी बोझ होगा।

इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर नई दिल्ली में ७० लाख रुपये के प्रोसेस्ड टैक्स की सरकारी प्रोपर्टी है, तो वहाँ १८ लाख रुपये के प्रोसेस्ड टैक्स की गैर-सरकारी आयदाद भी तो है और उस में भी बहुत सारी कामसालिडेटिव है, जोकि कारपोरेशन में जा सकती है और उस की आमदनी में इजाफा कर सकती है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या यह बात जम्हूरियत के उसूल से मुताबिकत आती है कि सरकारी प्रोपर्टी पर सिविक फ्राइजेंस के परपज के लिये टैक्स न हो। मैं ने अपने मिनिट आफ डिसेन्ट में भी इस का जिक्र किया है और मैं लोकल फ्राइजेंस एक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का इवाला दे सकता हूँ कि अगर

सरकारी प्रोपर्टी म्युनिसिपल हद में आये तो उस पर किसी दूसरे तरीके से टैक्स न लगाया जाय, यह बात उसूलन सत्य है।

इस के बाद यह भी कहा गया है कि बच्चे पर ज्यादा बोझ है। उस पर ज्यादा बोझ न डालिये। यह तो आप के अक्षितयार में है। आप ने नई दिल्ली को अलग रखा है। आप ग्रान्ट की श्रुत में वहाँ की सिविक एडमिनिस्ट्रेशन को मदद देंगे। वह सारी आप कारपोरेशन को दे दीजिये और आप को जो यह डर है कि बच्चा बोझ से दब जायगा, वह डर दूर हो जायगा। मैं धर्म करना चाहता हूँ कि नई और पुरानी दिल्ली को अलग रखना किसी भी तरह मुनासिब नहीं है। एस० आर० सी० की रिपोर्ट मेरे लायक साधियो ने पढ़ कर सुनाई है। उस के अलावा जाबिस कमेटी की रिपोर्ट, बिडला कमेटी की रिपोर्ट—गरजकि तमाम रिपोर्टों के मशाहदात, उन की सिफारिशात यह हैं कि नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली की सर्विसिज मुस्तर्फा हैं, उन की सोशल लाइफ एक है और वे एक इन्टीगरेटेड यूनिट है, इसलिये एक सबक पर लाइन खींच देना और कहना कि इस सबक के एक तरफ नई दिल्ली की हद है और दूसरी तरफ पुरानी दिल्ली की हद है, ठीक नहीं है। अगर आप नई दिल्ली वालों का बहुत ज्यादा ब्याल रखना चाहते हैं, तो उन के लिये स्पेशल प्राविजन रखे जा सकते हैं।

मैं धर्म करना चाहता हूँ कि इस तरह से दो जगहों को अलग रखने की कोई मिसाल दुनिया में नहीं मिलती है। अगर इसी मिसाल पर चला जाय, तो करीब करीब चीने चार सौ गांवों के लोगों को एक ऐसे सिविक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जोड़ देने के बारे में भी, जिस से कि वे बिल्कुल मुक्त-लिफ हैं, वही एवरतज किया जा सकता है। आप ने इसी सत्यता न की होती। आप वे स्टेट प्रोसेम्बली तोड़ी। धर्म को दिल्ली सुवा बनाने

की ज़रूरत थी। ये देहात कोई आसमान से तो टपक नहीं पड़े हैं। वह कोई भ्रमण भी नहीं है। वह पैनेन्ट प्रोप्राइटी की बमायत है, जो कि दरियाए सतलुज से लेकर बम्बई तक आबाध है। यह उसका एक टुकड़ा है, उसका जुज है। उसका कुछ हिस्सा पंजाब से—रोहतक और गुड़गांव से कुछ गांव—और कुछ जिले यू०पी० से—मेरठ से—लिए गए थे। आप उनको वहीं वापस भेज देते, ताकि वे अपने स्टेट असेम्बली के हकूक को इस्तेमाल करते। उन लोगों की फीलिंग्स इस बारे में क्या हैं, इस ही इससे स्टेट डेसक्रिप्शन के खुद नहीं दे सकता जो कि एक पंचायत में एक बुजुर्ग ने उठ कर कहा कि यह सिविक एडमिनिस्ट्रेशन तो बेसी है, जैसे कि एक बकरी को एक ऊंट के साथ एक खुरली पर बांध दिया गया हो। बकरी का मुंह छोटा होता है, ऊंट का मुंह लम्बा होता है। उन दोनों को एक खुरली पर बांधने से सिवाए इसके क्या नतीजा होगा कि बकरी उन रीसोर्सिज में से अपने डेवेलपमेंट के लिए कुछ न ले सकेगी और ऊंट अपनी लम्बी गरदन से सब कुछ खा जायगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें देहातियों पर कोई मेहरबानी नहीं की गई है।

उपस्थित महोदय : वैसे यह मिसाल ठीक नहीं आयगी। बकरी बहुत जल्दी खायगी।

श्री० प्र० सि० बीनता : ऊंट को लगाम दी जा सकती है और बकरी की रस्सी लम्बी की जा सकती है। यह कोशिश की जा सकती है।

मैं अर्ज कर रहा था कि इन देहात के लोगों की ग्राम सभा भलग होगी, उनके एन ई० एस० ब्लाक भलग होंगे, डेवेलपमेंट ब्लाक भलग होंगे। हमारी समझ में नहीं आता कि कैसे उनको शहर के लोगों से जोड़ने के बाद शारी एडजस्टमेंट हो सकेगी।

जहां तक इस कार्पोरेशन का स्लुक है, मैं यह मानता हूं कि यह स्टेट

असेम्बली की जगह नहीं ले सकती है। अगर मेरे कुछ दोस्तों को स्टेट असेम्बली की याद आती है, तो उन्हें हिम्मत के साथ काम करना चाहिए। जहां तक होम मिनिस्टर का ताल्लुक है, उन्होंने बड़ी मेहरबानी की है। उन्होंने पुरानी दिल्ली भलग रखी है। मुझे उस पर एतराज है, लेकिन साथ ही मुझे उसमें कुछ उम्मीद भी नजर आती है। पुरानी दिल्ली इसलिए भलग रखी है कि कभी न कभी हरियाना प्रान्त बनेगा ही, तो नई दिल्ली तो हिन्दुस्तान का कैपिटल होगा और वह होगा हमारा। जहां तक स्टेट असेम्बली का सवाल है, हरियाना प्रान्त के लिए दबने की ज़रूरत नहीं है। हाइ कमांड से डरने की ज़रूरत नहीं है। उठ कर काम करते जाइये।

यह बिल सिविक एडमिनिस्ट्रेशन के पैमाने पर भी पूरा, जामे, मुकम्मल और हमागीर नहीं है। जिस हद तक उसका दायरा-अस्तियार है, उसमें भी खुद-मुस्तारी नहीं है। डेवेलपमेंट अचारिटी भलग रखी गई है। इस पर भी बहुत बातें कही गई हैं, और कही जायेंगी, जब कि यह बिल हमारे सामने आयगा। लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि बम्बई में, जिसके ढांचे पर यह बिल बनाया गया है, इम्प्रूवमेंट कमेटी वहां की कार्पोरेशन के मातहत है, भलग नहीं है। तो फिर दिल्ली में उसको भलग क्यों रखा गया है? हम को बम्बई से भागे जाना चाहिए था, इसलिए कि वहां पर स्टेट असेम्बली है, जो कि यहां पर नहीं है। लेकिन अगर उससे भागे न जाते, तो कम से कम वहां तक तो जाना चाहिए था, जहां तक बम्बई गया है। जितना उन के पास है, उतना तो दिल्ली को देना चाहिए था।

कार्पोरेशन का जो कमिश्नर है, वह इस कार्पोरेशन का बास है। मेयर और डिप्टी मेयर तो नुमायशी हैं - डेकोरेटिव

[बी० प्र० सि० दीलता]

बैल्यू की चीजें हैं। मेरे दोस्त ने टोकियो की मिसाल दी। मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ मेयर सिविक एडमिनिस्ट्रेशन का एकसी-क्यूटिव हैब होता है। आप हिन्दुस्तान के दारुल-खिलाफे—हिन्दुस्तान की राजधानी दिल्ली के लिए कार्पोरेशन बनाने चले, तो आप टोकियो से अच्छी मिसाल पेश करते, तो बेहतर होता। उसकी तरफ़ा सेट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। उसकी रीमूवल २।३ से हो सकती है, जबकि बम्बई में ५।८ से हो सकती है। उसको इस बात का अस्तिधार है कि वह मेम्बरो को कुछ बताए या न बताए। मेयर, डिप्टी मेयर और कौंसिलर उसको कुछ कह नहीं सकते हैं।

जहाँ तक एल्डरमैन का ताल्लुक है, मुझे शर्म आती है कि दिल्ली वालों के साथ क्या हुआ है। किसी बक्त दिल्ली का शायर लखनऊ गया, तो वहाँ के लोग उसकी गरीबी पर हसने लगे। उसने कहा कि हसो न, मैं दिल्ली से आया हूँ। यह फसल हुआ करता था अहल दिल्ली को। आपने स्टेट असेम्बली तोड़ दी और एक लगडी सी कार्पोरेशन दे रहे हैं। अगर चौधरी ब्रह्म प्रकाश के गांव

की बारान मेरे हुनके में चली जाय तो हुक्का नहीं देते। बहुत बटिया समझते हैं। यह धमर बकाया है। एल्डरमैन के मायने यह है कि दिल्ली के लोग इस काबिल नहीं हैं कि ठीक ठीक नुमायंदे चुन लें, इसलिए कुछ धीर नुमायंदे, जो कि ठीक हों, जो कि उनको राह—रास्त पर ले जा सकें, उनकी गाइडेंस कर सकें, चोर दरवाजे से दाखिल कर दिए गए हैं।

उपस्थित बहुबच . मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य एक दो मिनट में खतम कर देंगे।

बी० प्र० सि० दीलता . मैंने करीब पाब मिनट और बोलना है। यह एक देहात की कमेटी का मामला है। मैंने उसके बारे में क्लीयर बोलना है। इसलिए बाकी में कल बोल लूंगा।

Mr. Deputy-Speaker: The hon Member may continue tomorrow

17.2 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday the 27th November, 1957